महत्त्वपूर्ण संपादकीय
विश्लेषण

06/10/2026

1. मतदान का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II: राजव्यवस्था)

2. गुजरात के जल-प्रशासन मॉडल से सीख

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III: पर्यावरण)

3. इतिहास के समग्र अध्ययन की आवश्यकता

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- I: समाज)

दिल्ली केंद्र : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

संपादकीय: 06 अक्तूबर, 2026

1. मतदान का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II: राजव्यवस्था)

'दि नॉक ऑन दि सुप्रीम कोर्ट्स डोर' (The knock on the Supreme Court's door) शीर्षक वाला यह संपादकीय 6 अक्टूबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। इसमें मतदाता सूची के संशोधन से मतदान के अधिकार और चुनावी जवाबदेही को उत्पन्न खतरों तथा उनसे निपटने की सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है।

चुनावी शासन और मतदान के अधिकार

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की संरचना भले ही बहु-सदस्यीय है किंतु यह एक तरह से 'एकल-व्यक्ति प्राधिकरण' के रूप में कार्य करता है। इससे मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान आंतरिक नियंत्रण एवं संतुलन कमजोर हो जाते हैं।
- न्यायमूर्ति उज्जल भुइयाँ ने एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित किए जाने को असंवैधानिक बताया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा प्रत्येक मत के समान मूल्य को स्वतंत्रता संग्राम की समानता की परिकल्पना से जोड़ा।
- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने चेतावनी दी कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने से मतदान का अधिकार खतरे में पड़ता है जो लोकतंत्र का केंद्रीय आधार है।
- सबूत का बोझ कमजोर स्थिति वाले मतदाताओं पर डालना और लगातार प्रक्रियागत बाधाएँ खड़ी करना समावेशिता के मामले में ईसीआई (ECI) के रिकॉर्ड को कमजोर करता है।

न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जवाबदेही

- बहिष्करण को लेकर चिंताओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार ईसीआई को संदेह का लाभ देना, चुनावी भागीदारी की रक्षा करने में उसकी भूमिका को जांच के दायरे में लाता है।
- मतदाता पंजीकरण को जटिल बनाने वाले फ़ॉर्म 6 में बदलावों पर न्यायालय की असहमति और आंतरिक निर्णय-प्रक्रिया पर उसके सवाल जवाबदेही के स्वागतयोग्य उपाय हैं।
- SIR प्रक्रियाओं, नियुक्तियों एवं कामकाज से जुड़े लंबित मामलों में अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर न्यायिक निगरानी आवश्यक है।

संपादकीय के अतिरिक्त

मतदाता सूची की सटीकता के लिए सुरक्षा उपाय

- **संतुलित सत्यापन:** सत्यापन में गलत तरीके से शामिल नामों पर कार्रवाई होनी चाहिए किंतु पात्र मतदाताओं को बाहर नहीं किया जाना चाहिए; भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की फ़ॉर्म 7 प्रक्रिया आपत्तियों एवं नाम हटाने का तंत्र उपलब्ध कराती है।
- **पूर्व सूचना:** नाम हटाने से पहले जवाब देने का अवसर देना आवश्यक है; ECI के सुरक्षा उपायों के अनुसार, नाम-हटाने के प्रस्तावित मामलों में व्यक्तिगत सूचना और उचित सुनवाई की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों के जिनमें मृत्यु की पुष्टि हो चुकी हो।
- **सुलभ दस्तावेज़ीकरण:** दस्तावेज़ों की कमी के कारण किसी को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए; ईसीआई बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा रात में बार-बार किए गए दौरों के

माध्यम से बेघर व्यक्तियों के निवास का सत्यापन करने की अनुमति देता है जिसके लिए निवास का दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक नहीं है।

- **प्रभावी अपीलें:** गलत तरीके से हटाए गए नामों के लिए सुलभ उपाय आवश्यक हैं; ईसीआई के दिशानिर्देश मतदाता पंजीकरण अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था करते हैं जबकि उसका मतदाता सेवा पोर्टल अपील की स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा देता है।
- **लक्षित जाँच:** नाम हटाने के असामान्य पैटर्न पर अतिरिक्त जाँच होनी चाहिए; ईसीआई के सुरक्षा उपायों के अनुसार, यदि किसी मतदान केंद्र पर 2% से अधिक नाम हटाए जाते हैं या एक व्यक्ति पाँच से अधिक प्रविष्टियों पर आपत्ति करता है तो व्यक्तिगत रूप से दोबारा सत्यापन करना आवश्यक है।
- **पारदर्शी रिपोर्टिंग:** सार्वजनिक प्रकटीकरण से जाँच संभव होती है; ईसीआई की प्रक्रियाओं के अनुसार, निर्णय लिए जाने से पहले दावे और आपत्तियाँ निर्वाचन वेबसाइटों तथा निर्धारित सूचना-पट्टों पर प्रकाशित की जानी चाहिए।
- **तकनीकी सुरक्षा उपाय:** डिजिटल प्रणालियों को जवाबदेह मानवीय निर्णयों का समर्थन करना चाहिए; ECI का ERONET पंजीकरण, क्षेत्रीय सत्यापन एवं निर्णय समर्थन को एकीकृत करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से चिह्नित विसंगतियों की जाँच का आधार मिलता है।

2. गुजरात के जल-प्रशासन मॉडल से सीख

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III: पर्यावरण)

'भारत से वैश्विक दक्षिण तक, गुजरात का जल-शासन मॉडल' (From India to Global South, a Gujarat water-governance model) शीर्षक वाला यह संपादकीय 6 अक्टूबर 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें वैश्विक दक्षिण में व्यापक एवं टिकाऊ जल सुरक्षा के लिए गुजरात के जल शासन सुधारों से प्राप्त सीखों पर प्रकाश डाला गया है।

शासन एवं संस्थागत सुधार

- भारत के नौवें अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में जलवायु-लचीले जल प्रबंधन, टिकाऊ आपूर्ति, दक्षता एवं प्रयुक्त जल उपचार को पर्यावरणीय और आर्थिक संसाधनों के रूप में प्राथमिकता दी गई।
- 2001 से 2014 के बीच गुजरात में हुए सुधारों ने 2014 के पश्चात राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मार्गदर्शन दिया: स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन (JJM), जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना और प्रति बूंद अधिक फसल।
- केस स्टडी, 'गुजरात से भारत तक: दुनिया के लिए जल संबंधी सबक', जो 2001-2026 की अवधि को कवर करती है, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्राथमिकता, वित्तपोषण, कार्यान्वयन और सामुदायिक सहभागिता को इंजीनियरिंग के साथ-साथ आवश्यक तत्वों के रूप में पहचानती है।
- दिल्ली घोषणा (अक्टूबर 2018) में चार 'पी' को स्पष्ट किया गया: जल को प्राथमिकता देने वाला राजनीतिक नेतृत्व; पूंजीगत और आवर्ती लागतों को कवर करने वाला सार्वजनिक एवं निजी वित्तपोषण; सरकारों, समुदायों व ज्ञान संस्थानों के बीच साझेदारी; स्थानीय निर्णयों में लोगों की भागीदारी।

एकीकृत संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक स्वामित्व

- जल संसाधन और सेवा वितरण के लिए संयुक्त योजना की आवश्यकता होती है: शहरी, औद्योगिक और सिंचाई की मांग का पूर्वानुमान लगाना, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते अफ्रीकी शहरों में, बाद में किए जाने वाले सुधारों की तुलना में कम खर्चीला होता है।

- डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर निर्माण सहित गैर-पेय उद्देश्यों के लिए पानी का पुन: उपयोग भविष्य की मांग को पूरा कर सकता है; मौजूदा कीमतों पर भारत का वार्षिक उपचारित जल बिक्री राजस्व 2047 तक ₹73,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।
- पानी समितियां, विश्वसनीय बुनियादी ढांचा और संतुलित आंतरिक संसाधन एवं बाहरी समर्थन जल संरक्षण, संचयन व पुनर्भरण कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी को मजबूत करते हैं।
- गुजरात के 'चिंतन शिविरों' (2001–2014) ने जल संबंधी व्यावहारिक नीतियों को समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया; जल पर विभागीय शिखर सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय समन्वय जारी रहा, जिसे सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।

जल सुरक्षा को बढ़ाना

- विश्व सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने की दिशा में अभी भी पिछड़ रहा है, जिसमें 2030 तक सुरक्षित जल, स्वच्छता एवं सतत संसाधन प्रबंधन शामिल हैं; इसके लिए अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक निवेश 500 अरब डॉलर है।
- JJM का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन व्यापक स्तर पर सफलता का प्रमाण है; वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर राजनीतिक नेतृत्व, वित्तपोषण, संस्थानों, बुनियादी ढांचे, डेटा संग्रह और रखरखाव की आवश्यकता होती है जिसमें गुजरात से सीखे गए सबक को स्थानीय संदर्भों के अनुकूल बनाया जाता है।

संपादकीय के अतिरिक्त

जल शासन मॉडल की पारिस्थितिकी सीमाएँ

- **भूजल सीमाएँ:** जल आपूर्ति विस्तार में जलभंडारों के क्षरण को ध्यान में रखना होगा; विश्व बैंक

पंजाब में गहन ट्यूबवेल सिंचाई को भूजल स्तर में तेजी से गिरावट का एक कारण बताता है।

- **फसल संवर्धन प्रोत्साहन:** संरक्षण के लिए कृषि की बदलती मांग आवश्यक है; हरियाणा की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना घटते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए धान से वैकल्पिक फसलों की ओर विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है।
- **पारिस्थितिक प्रवाह:** मानव द्वारा जल निकासी से नदी के पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण होना चाहिए; भारत की 2018 की गंगा अधिसूचना में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह अनिवार्य किया गया है जिसकी निगरानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है।
- **क्षेत्रीय उपयुक्तता:** जल मॉडलों को स्थानीय अनुकूलन की आवश्यकता होती है; केंद्रीय भूजल बोर्ड का राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम जलभृत की विशेषताओं, संसाधन उपलब्धता व जल गुणवत्ता का उपयोग करके रणनीतियाँ विकसित करता है।
- **दक्षता विरोधाभास:** कुशल सिंचाई से समग्र खपत में कमी आना जरूरी नहीं है; 2008 के अपर रियो ग्रांड बेसिन अध्ययन में पाया गया कि दक्षता सब्सिडी से क्षरण में वृद्धि हो सकती है जबकि प्रतिफल प्रवाह कम हो सकता है।
- **ऊर्जा प्रोत्साहन:** जल शोधन प्रोत्साहन से संरक्षण को बढ़ावा मिलना चाहिए; गुजरात की धुंडी सौर सहकारी समिति किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचने में सक्षम बनाती है जिससे अतिरिक्त भूजल दोहन के विकल्प के रूप में आय का सृजन होता है।
- **वितरण संबंधी समानता:** जल आवंटन में वाणिज्यिक उपयोगों से पहले आवश्यक जरूरतों की रक्षा की जानी चाहिए; राष्ट्रीय जल नीति, 2012 पेयजल, स्वच्छता, आजीविका आवश्यकताओं एवं न्यूनतम पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकताओं को मान्यता देती है।

3. इतिहास के समग्र अध्ययन की आवश्यकता

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I: समाज)

'द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट व्हाट हिस्ट्री टेक्स्टबुक्स टीच, बट ऑल्सो व्हाट दे डोंट' (The problem is not just what history textbooks teach, but also what they don't) शीर्षक वाला यह संपादकीय 6 अक्टूबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया है कि चुनिंदा नैरेटिव और इतिहास की प्रक्रियाओं को छोड़ देना इतिहास की शिक्षा में आलोचनात्मक पड़ताल की क्षमता कमज़ोर हो जाती है।

इतिहास की समझ और पाठ्यक्रम की कमियाँ

- इतिहास की शिक्षा में यह समझाया जाना चाहिए कि तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक बदलावों ने मानव जीवन को किस प्रकार आकार दिया। विरोधी समूहों के नैरेटिव को प्राथमिकता देने वाले संशोधन इस विश्लेषणात्मक उद्देश्य को कमज़ोर करते हैं।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कक्षा IX की पाठ्यपुस्तक 'समाज को समझना: भारत और उससे आगे— भाग 2' विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने का वादा करती है किंतु ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की पर्याप्त व्याख्या के बिना घटनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत करती है।
- स्वतंत्रता पर इसके अध्याय में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं की व्याख्या नहीं की गई है; साहित्य, पूँजीवाद एवं संवैधानिक सुधारों को छोड़ दिया गया है जिनमें रिपन की स्थानीय स्वशासन पहल, मॉर्ले-मिंटो व मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार शामिल हैं। साथ ही, यह विविध समुदायों के बीच सामूहिक प्रतिरोध की व्याख्या करने में भी विफल रहता है।

धार्मिक प्रस्तुति और ऐतिहासिक विरोधाभास

- सांस्कृतिक इतिहास वाला अध्याय धार्मिक विरोध को भक्ति-सूफ़ी संवाद की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करता है और इस्लाम की तुलना भारत की विविध परंपराओं से करता है, फिर भी उपनिषदों में एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है।
- महिलाओं की सीमित आवाजाही और नकाब (घूँघट) को इस्लामी आक्रमणों से जोड़ना अबू ज़ैद के विवरण पर निर्भर करता है; भास के 'प्रतिमा' और शूद्रक के 'मृच्छकटिकम्' में मिले संदर्भ घूँघट के इस्लाम-पूर्व अभाव के दावों को चुनौती देते हैं।

आलोचनात्मक पड़ताल का ह्रास

- शिक्षक तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधार सकते हैं किंतु महिमामंडित आख्यान एवं धर्म-केंद्रित विवरण इतिहास की प्रश्नपरक प्रकृति को विस्थापित कर देते हैं। इससे सामग्री का चयन और उस पर दिया गया ज़ोर ही अधिक गहरी समस्या बन जाता है।
- पाठ्यपुस्तकों में सेनाओं, इस्पात, वैदिक यज्ञों, खगोलशास्त्र और बंकिम चंद्र के आनंदमठ का उल्लेख है किंतु उन अंतर्निहित प्रक्रियाओं को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने इन्हें संभव बनाया: रसद की व्यवस्था, हथियारों की आपूर्ति, भट्टियाँ, आग को जलाए रखना, यंत्रगोलक का संचालन और साक्षरता को संभव बनाने वाली शिक्षा।

संपादकीय के अतिरिक्त

पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय

- **स्वतंत्र समीक्षा:** प्रकाशन से पहले अकादमिक जाँच होनी चाहिए; 1972 में स्थापित जर्मन-पोलिश पाठ्यपुस्तक आयोग शैक्षणिक सटीकता एवं शिक्षण संबंधी उत्तरदायित्व के लिए पाठ्यक्रमों और शिक्षण-सामग्री की संयुक्त समीक्षा करता है।
- **स्रोतों में पारदर्शिता:** ऐतिहासिक दावों के साथ उनके प्रमाण स्पष्ट होने चाहिए; एनसीईआरटी

(NCERT) की 'थीम इन इंडियन हिस्ट्री' में पहचाने गए अभिलेखों और पाठ्य अंशों का उपयोग किया गया है जिससे विद्यार्थी यह जाँच सकते हैं कि व्याख्याएँ कैसे निर्मित होती हैं।

- **जन-परामर्श:** संशोधनों में कक्षा के अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए; भारत ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अप्रैल 2023 में स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मसौदा जारी किया, जो परामर्श की एक मिसाल प्रस्तुत करता है।
- **दस्तावेज़ीकृत बदलाव:** महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए ऐसे स्पष्टीकरण आवश्यक हैं जिनका पता लगाया जा सके; एनसीईआरटी कक्षा-वार तर्कसंगत की गई सामग्री की सूचियाँ प्रकाशित करता है। यह जानकारी सार्वजनिक करने का एक तंत्र है जिसे प्रत्येक बदलाव के लिए विशिष्ट अकादमिक औचित्य देकर अधिक मजबूत किया जा सकता है।
- **प्रमाण-आधारित बहुलता:** विश्वसनीय प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को अलग-अलग पहचाना जा सकना चाहिए; प्राइम (PRIME) की 'लर्निंग इच अदर्स हिस्टोरिकल नैरेटिव' इज़राइली एवं फ़िलिस्तीनी विवरणों को साथ-साथ प्रस्तुत करती है और तुलनात्मक शिक्षण का एक मॉडल देती है।
- **आयु के अनुरूप डिज़ाइन:** जटिलता का स्तर शिक्षार्थियों के विकास के अनुरूप होना चाहिए; राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5+3+3+4 संरचना आधारभूत, प्रारंभिक, पूर्व-माध्यमिक एवं माध्यमिक चरणों में पाठ्यक्रम व शिक्षण-पद्धति के दृष्टिकोणों को अलग-अलग निर्धारित करती है।
- **आवधिक सुधार:** प्रकाशकों के लिए सुधार की पारदर्शी प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं; NCERT की 2025 की पत्रिका नीति रिपोर्ट की गई अशुद्धियों को ठीक करने की ज़िम्मेदारी संपादकीय मंडलों को सौंपती है जो पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों के निवारण की प्रणालियों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है।